में भारत की भूमिका निम्नलिखित रही है :-

(1) **संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व व्यापक संस्था बनाने का प्रयास** (Efforts to make United Nations a World wide Organisation) :- भारत ने प्रारम्भ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ को एक विश्वव्यापी संस्था बनाने का प्रयास किया है। कोरिया युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ में नए राज्यों को सदस्यता प्रदान करने के प्रश्न पर गतिरोध हो गया तथा अमेरिका व रूस दोनों ही नए देशों को सदस्य बनाने पर आनाकानी कर रहे थे तो भारत ने ही इस गतिरोध को दूर किया था। 1955 में जब सोवियत नेता मार्शल बुलगानिन और खुश्चैव भारत आए तो भारत के प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे इस संमस्या पर विचार-विमर्श किया और अन्त में यह निश्चित हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे द्वारा समर्थित देशों को नए सदस्य बनाने पर आपत्ति नहीं करेंगे। भारत ने कहा कि कोरिया और वियतनाम को छोड़कर शेष दोनों देशों को शीघ्रता के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान की जाए। भारत के प्रयासों से ही 8 सितम्बर, 1955 को प्रस्तावित 16 नए सदस्यों को शामिल करने पर चीन को जो आपत्ति थी, वह शीघ्र दूर हो गई। भारत के प्रयासों से 1956 को 16 देशो को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान की गई जिसमें 10 गुटनिरपेक्ष देश भी शामिल थे। भारत ने जनवादी चीन की सदस्यता पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना समर्थन दिया। भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देशों के प्रयासों से आज संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 191 हो चुकी है। आज लगभग विश्व के 95% देश इसके सदस्य हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत जैसे महान देश को अब तक भी इसकी स्थायी सदस्यता से वंचित रखा गया है।

(2) **संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास** (Faith in the United Nations) :- भारत अपनी स्वतन्त्रता से लेकर आज तक संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों व मूल उद्देश्यों में अपना विश्वास व्यक्त करता है। नेहरु जी ने 3 नवम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देते समय कहा था कि भारत न केवल पूर्ण रूप से UN चार्टर के सिद्धान्तों व उद्देश्यों के प्रति वचनबद्ध है, बल्कि अपनी पूरी क्षमता के साथ उन्हे लागू भी करेगा। भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शान्ति के खतरों से भारत व अन्य गुटनिरपेक्ष देशों को बचाने में सफल रहा है क्योंकि विश्व में देशों के बीच शान्तिपूर्ण सहयोग की यह एकमात्र आशा की किरण है। अमेरिका द्वारा कश्मीर समस्या पर विपरीत रूख अपनाए जाने पर भी भारत की आस्था संयुक्त राष्ट्र संघ में कम नहीं हुई। भारत की विदेश नीति के सभी सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों के अनुकूल ही हैं। भारत विश्वशान्ति, शान्तिपूर्ण ढंग से विवादों का निवारण करना, रंगभेद की समाप्ति, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद की समाप्ति, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास आदि मूल्यों को आज भी अपनी विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किए हुए है। वस्तुत संयुक्त राष्ट्र संघ में जितनी आस्था भारत की रही है, अन्य किसी देश की नहीं रही है। भारत हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों के अनुरूप ही पाकिस्तान, चीन तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार करता रहा है। वर्तमान में ईराक समस्या को हल करने में भी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ से सहयोग की उम्मीद रखता है। अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में गहरी आस्था है।

(3) **अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा में योगदान** (Contribution to International Peace and Security) :- संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाए रखना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सशस्त्र आक्रमण की स्थिति में सामूहिक सुरक्षा कार्यवाही करना है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की स्थापना का दूसरा पहलु यह भी है कि विवादों को शान्तिपूर्ण समझौतों द्वारा हल किया जाए। शान्तिपूर्ण प्रयासों के अन्तर्गत भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने सीमा विवाद को सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर ही हल किया। भारत ने 1948, 1965 तथा 1971 के अघोषित युद्ध तथा 1999 का कारगिल लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद

भी सुरक्षा परिषद के आदेशों को ही स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त भारत ने चीन तथा अन्य पड़ौसी देशों के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्धों को ही प्राथमिकता दी है। 'गुजराल सिद्धान्त' इसका स्पष्ट प्रमाण है कि भारत आज भी विश्व शान्ति के आदर्श को मानते हुए नेहरु जी के द्वारा बताए गए पंचशील व शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के मार्ग पर चलकर ही अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर सम्बन्धों की स्थापना पर बल देता है।

इसके साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करने की दिशा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1950 के कोरिया विवाद में भारत ने तटस्थ राष्ट्रों के युद्ध-बनी प्रत्ययावर्तन आयोग की अध्यक्षता भी की। इसके अतिरिक्त भारत ने कोरिया युद्ध में अपनी सेना का एक चिकित्सा दल भी भेजा। प्रत्यावर्तन आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत ने युद्ध-बन्दियों की अदला-बदली के कार्य को पूरी निष्ठा से संचालित किया। इसके बाद 1954 में हिन्द चीन विवाद में भी भारत ने 'निरीक्षण एवं नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रीय आयोग' की अध्यक्षता की। उसके बाद 1956 के स्वेज नहर संकट के समय भी भारत की सहयोगकारी भूमिका रही। इस संकट से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल गठित किया गया जिसमें भारत की सैन्य टुकड़ी भी शामिल थी। इसके बाद 1960 में कांगों विवाद को हल करने के लिए गठित शान्ति सेना में भी भारत की सैन्य टुकड़ी शामिल हुई। इस शान्ति सेना में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद युगोस्लाविया में भड़की जातीय हिंसा को दबाने में जिस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बल का गठन किया गया, उसका नेत त्व भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ही किया। इसके अतिरिक्त अरब-ईजराइल संघर्ष, क्यूबा संकट, लेबनान संकट, श्रीलंका की तमिल समस्या, खाड़ी संकट, सोमालिया संकट, कम्बोडिया संकट तथा बोसनिया-हर्जेगोविना संकट को हल करने की दिशा में भी भारत द्वारा प्रयास किए गए। खाड़ी युद्ध में भारत ने अमेरिकी विमानों को ईंधन देने की बात तो स्वीकार की, परन्तु अपनी सेना नहीं भेजी। मार्च 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने भारत के प्रकाश शाह को ईराक में अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ मे भारत की भूमिका में व द्धि हुई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत की विश्व शान्ति कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

(4) उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद के उन्मूलन की प्रक्रिया को गति देना (To precipitate the end of Colonialism and Imperialism) :- 1947 के बाद ही भारत ने एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका के विभिन्न देशों से उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए चलाए जा रहे स्वतन्त्रता आन्दोलनों का समर्थन करने के लिए चलाए जा रहे स्वतन्त्रता आन्दोलनों का समर्थन करना शुरु कर दिया था। नेहरु जी ने कहा कि विश्वशान्ति और प्रगति के लिए उपनिवेशवाद का अन्त होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एशियाई व अफ्रीकी एकता के लिए भी ऐसा होना आवश्यक है। उपनिवेशवाद के विघटन के मामले में 14 दिसम्बर, 1960 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव लाया गया तो भारत ने इस प्रस्ताव के समर्थन में बहुमत प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास किया और अन्त में यह प्रस्ताव पास हो गया। इसी प्रस्ताव की घोषणा के तहत 50 देशों को औपनिवेशिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। भारत ने उत्तरी अफ्रीका में फ्रांस के उपनिवेशों अल्जीरिया, टयूनिसिया और मोरक्को की स्वतन्त्रता के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया। उसने संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रीय आत्म-निणर्य के सिद्धान्त को पारित करवाने का अथक प्रयास किया। उसने साईप्रस की स्वतन्त्रता की मांग को भी उचित बताया। भारत के प्रयासों से ही 1960 तक अधिकतर अफ्रीकी उपनिवेश स्वतन्त्र हो गये। केवल नामीबिया ही एकमात्र उपनिवेश रह गया जिस पर 1986 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष अधिवेशन बुलाया। इस अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मन्त्री ने किया। भारत ने नामीबिया की स्वतन्त्रता (1990) तक संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अतः भारत की उपनिवेशवाद की समाप्ति तथा राष्ट्रों की स्वतन्त्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा।